



Neutral Citation No. – 2026:AHC:161231

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 8506/2026

शिवशंकर उर्फ शंकर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: शेर बहादुर यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: चरण सिंह, दिलनवाज़ अहमद खान, जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. संशोधित पुकार के समय भी वादी पक्ष से कोई उपस्थित नहीं था।
2. आवेदक की ओर से आज प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शेर बहादुर यादव तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. वर्तमान आवेदन अवर न्यायालय में विचारण के लंबित रहने के दौरान, थाना पावई, जिला आजमगढ़ के अंतर्गत अपराध संख्या 310/2025, धारा 103(1), 3(5) बीएनएस में आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग के लिए दायर किया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है और वर्तमान मामले की प्राथमिकी आवेदक तथा चार अन्य के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि उन्होंने मृतक की हत्या की है, किंतु सूचक सहित किसी ने भी वास्तविक घटना को नहीं देखा था।

6. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक के खिलाफ एकमात्र सबूत यह है कि आरोप के अनुसार मृत्यु से पहले मृतक ने खुद अपने चचेरे भाई-रामावतार को फोन किया था और कहा था कि आवेदक ने सह-अभियुक्तों नीरज, अनिल और प्रियंका के साथ मिलकर उसे बुरी तरह से पीटा और वह खेत में पड़ा हुआ है और इसके अलावा और आवेदक की निशानदेही पर लकड़ी की छड़ी की बरामदगी के अलावा, अभिलेख पर आवेदक के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है।

7. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि मृतक अपने भाई रामावतार के साथ गया था, इसलिए अगर उसने बाद में उसे फोन किया भी, तो यह नहीं कहा जा सकता कि फोन पर उसने हमलावरों के तौर पर आवेदक और दूसरों का नाम बताया था; इससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता और मृतक के चचेरे भाई रामावतार ने एक झूठी कहानी गढ़ी है।

8. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक, सह-आरोपी प्रियंका के भाई नीरज का दोस्त है और मृतक का सह-आरोपी प्रियंका के साथ अफेयर था, इसलिए अभियोजन पक्ष के अनुसार आवेदक ने सह-आरोपी प्रियंका के भाई नीरज, प्रियंका और अनिल के साथ मिलकर मृतक की हत्या की; लेकिन ये सभी आरोप झूठे हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान सह-आरोपी अनिल की संलिप्तता झूठी पाई गई और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।

10. उन्होंने आगे कहा कि केवल उपरोक्त सबूतों के आधार पर, बिना किसी पुष्टि करने वाले सबूत के, प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक मृतक नरेंद्र की हत्या में शामिल था।

11. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 15.11.2025 से जेल में है।

12. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दी गई दलीलों को चुनौती नहीं दे सके।

13. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

14. हालाँकि, अन्य लोगों के साथ एफआईआर में आवेदक का नाम भी है, लेकिन यह मामला पूरी तरह से परिस्थितियों पर आधारित है और किसी ने असली घटना नहीं देखी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि मृतक का सह-आरोपी प्रियंका के साथ चक्कर था और आवेदक नीरज का दोस्त है जो सह-आरोपी प्रियंका का भाई है, इसलिए उसने अपने भाई और सह-आरोपी अनिल व प्रियंका के साथ मिलकर मृतक की हत्या कर दी और इस सिलसिले में जांच अधिकारी ये दो सबूत जुटा पाया:-

a) मरने से पहले, मृतक ने अपने चचेरे भाई रामावतार को फ़ोन किया था। गवाह रामावतार के अनुसार, मृतक ने उसे बताया कि प्रियंका के भाई यानी सह-आरोपी नीरज, सह-आरोपी प्रियंका और अनिल ने उसे बुरी तरह पीटा था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



b) आवेदक के बताने पर एक लकड़ी की छड़ी बरामद की गई।

15. जहां तक साक्ष्य (ए) का सवाल है, बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के यह मानना मुश्किल है कि फोन पर मृतक ने आवेदक और अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में जानकारी दी थी, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गवाह रामावतार मृतक का भाई था और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित मकसद और यह तथ्य कि जांच के दौरान सह-अभियुक्त अनिल की संलिप्तता झूठी पाई गई थी।

16. जहाँ तक दूसरी परिस्थिति (बी) का संबंध है, इस न्यायालय के विचार में बिना किसी अन्य संपुष्टि साक्ष्य के केवल इसी आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।

17. पत्रावली से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विवेचना अधिकारी अनुसंधान के दौरान ऐसा कोई ठोस साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके जो आवेदक को प्रस्तुत अपराध से जोड़ सके।

18. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 15.11.2025 से, यानी आठ महीने से ज़्यादा समय से जेल में है।

19. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

20. इस प्रकार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत अर्जी **मंजूर** की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



21. आवेदक-**शिवशंकर उर्फ शंकर** को संबंधित न्यायालय के संतोषजनक समाधान हेतु उतनी ही राशि के एक व्यक्तिगत मुचलके और दो दो-सदस्यीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ उपर्युक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी देने से पीछे हट जाए, और न ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा। 22. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत अर्जी के निपटारे के लिए पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

3 अगस्त 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”